KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880
BPSC - Polity
By : Karan Sir

न्यायपालिका

न्यायिक बहुसंख्यकवाद

- न्यायिक बहुसंख्यकवाद से आशय है की न्यायलय में लंबित कोई ऐसा मामला जिस पर बहुमत द्वारा फैसला लिया जाता है।

न्यायिक बहुसंख्यकवाद का अर्थ

- न्यायिक बहुसंख्यकवाद का सामान्य अर्थ जब किसी मानक मामलों की सुनवाई दो न्यायाधीशों वाली डिवीजन बेंच द्वारा की जाती है। हालाँकि, कुछ ऐसे मामलों जिनमें संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त व्याख्या शामिल है, संवैधानिक पीठ स्थापित की जाती हैं।

संवैधानिक आधार

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, संवैधानिक पीठों में आमतौर पर 5, 7, 9, 11 या 13 न्यायाधीश होते हैं। इसलिए, ऐसी पीठों के लिए, संख्यात्मक बहुमत विशेष महत्व रखता है। यह न्यायिक परिणामों में संख्यात्मक बहुमत सुनिश्चित करके निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 145(5) बहुमत की सर्वसम्मति की सिफारिस करता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि न्यायाधीश असहमतिपूर्ण निर्णय या राय देने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यायिक बहुसंख्यकवाद का समर्थन करने वाले तर्क क्या हैं?

- न्यायिक बहुसंख्यकवाद का समर्थन निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से किया जाता है:
- निर्णय लेने में आसानी के माध्यम से दक्षता,
- बहुमत के पालन के माध्यम से निष्पक्षता, और
- निष्पक्षता के माध्यम से समानता

संबंधित चिंताएँ:

- डिनायल ऑफ मेरिट:
- एक महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक फैसला कितना भी तर्कपूर्ण क्यों न हो, उसके परिणामों पर अधिक विचार नहीं किया जाता है।
- इस संदर्भ में एक उदाहरण खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य मामला (1962) है जिसमें निजता के अधिकार को कायम रखने के संदर्भ में न्यायमूर्ति सुब्बा राव की राय महत्त्वपूर्ण है जिसके आधार पर के.एस. पुट्टास्वामी बनाम UOI (2017) मामले में अनुमोदन की न्यायिक मुहर लगाई गई।
- ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल (1976) मामले में संवैधानिक विशिष्टता (Constitutional Eñceptionalism) की स्थितियों के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने वाली न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की असहमतिपूर्ण राय इस संदर्भ में एक प्रमुख उदाहरण है।
- यह तर्क दिया जाता है कि हमारे संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक निर्णयों में संख्यात्मक बहुमत को दिया गया वेटेज योग्यता के विपरीत है।

जनहित याचिका (पीआईएल)

- जनहित याचिका (पीआईएल) का तात्पर्य सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए मुकदमेबाजी से है। यह कानून और राजनीति में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

जनहित याचिका का अर्थ क्या है?

- जनहित याचिका (पीआईएल) का अर्थ है ष्सार्वजनिक हितष् की सुरक्षा के लिए अदालत में दायर की गई याचिका। कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता का हित प्रभावित होता है, उसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि जैसे कानून की अदालत में जनहित याचिका दायर करके निवारण किया जा सकता है।

जनहित याचिका के उद्देश्य

- जनहित याचिका (पीआईएल) एक कानूनी उपकरण है जो व्यक्तियों या संगठनों को उन लोगों की ओर से मुकदमा दायर करने की अनुमति देता हैं।
- जो न्यायिक प्रणाली तक पहुंचने में असमर्थ हैं। भारत में पीआईएल के मुख्य उद्देश्य हैं
- यह व्यक्तियों और संगठनों को वंचित या हाशिए पर रहने वाले समूहों की ओर से कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है जिनके पास स्वयं ऐसा करने के लिए संसाधन या ज्ञान नहीं है।
- जनहित याचिका का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक सरकारी कार्यों या नीतियों को चुनौती देने या सार्वजनिक हित की रक्षा करने वाले कानूनों या नीतियों को लागू करने की वकालत करने के लिए किया जा सकता है।
- जनहित याचिका का उपयोग अक्सर किसी सार्वजनिक निकाय या व्यक्ति की कार्य करने में विफलता का मूल्यांकन करने, या न्यायिक समीक्षा के दायरे में किसी निर्णय या कार्रवाई की वैधता पर विवाद करने के लिए किया जाता है।

- जनहित याचिका का उपयोग सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों या निष्क्रियता को चुनौती देने और उन्हें उनके कार्यों या कार्य करने में विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए किया जा सकता है।
- जनहित याचिका का उपयोग भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।
- जनहित याचिका का उपयोग प्रदूषण, वनों की कटाई और मानवाधिकारों के हनन जैसे सामाजिक और पर्यावरणीय चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।

जनहित याचिका के लाभ

- जनहित याचिका (पीआईएल) लोगों के लिए निर्णय लेने और शक्ति के राष्ट्रीय मंच तक पहुंच है जो अब तक आवाजहीन और अदृश्य थे।
- प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में छूट से गरीबों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में काफी मदद मिली है।
- लोकस स्टैंडी के नियम में ढील के परिणामस्वरूप प्रतिनिधि कार्रवाई हुई है जहां एक व्यक्ति या समूह, किसी विशेष कारण में पर्याप्त रुचि के साथ, बड़ी संख्या में अन्य लोगों की ओर से मुकदमा करता है जो मुकदमे की लागत वहन नहीं कर सकते हैं।
- पीआईएल ने अदालत को पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने का अवसर भी दिया है, जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं।
- अदालतों द्वारा पत्र और तार को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने से ऐसी मुकदमेबाजी की लागत कम हो जाती है और सार्वजनिक-उत्साही व्यक्तियों और समूहों को किसी भी स्थिति को अदालत के ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए तथ्यान्वेषी निकाय के रूप में अदालतों द्वारा आयोगों की नियुक्ति ने सबूत का एक नया तरीका स्थापित किया है। इन आयोग की रिपोर्टों ने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत वाले मामलों में अदालत के निर्देश का आधार बनाया है।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निर्देशों के कार्यान्वयन की न्यायालय द्वारा निगरानी, व्यवहार में अधिकारों की पुष्टि को सक्षम बनाती है। निगरानी का कार्य भी अक्सर सामाजिक कार्रवाई समूहों की भागीदारी के साथ सतर्कता निकायों को सौंपा गया है।

जनहित याचिका के सिद्धान्त

- सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल से संबन्धित कुछ सिद्धांतों को निरूपित किया है जो कि निम्नलिखित है-

1. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कल्याण में रुचि लेने वाले किसी भी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है। अगर वो याचिका समाज के उस वर्ग से संबन्धित है जो इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटकता सकें।
2. जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे या बड़ी संख्या में लोग के मूल अधिकारों के हनन से संबन्धित मामला हो तो न्यायालय एक पत्र को भी पीआईएल के रूप में स्वीकार कर सकता है। ऐसी मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों तथा सुनवाई से संबन्धित कानूनों में भी छूट देता है।
3. जब लोगों के साथ अन्याय हो, न्यायालय अनुच्छेद 14 तथा 21 के तहत कार्यवाही से नहीं हिचकेगा, साथ ही मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन भी ऐसे मामलों में एक उपर्युक्त एवं निष्पक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है।
4. जब न्यायालय प्रथम द्रष्ट्या साधनहीन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे आश्वस्त हो जाता है, वह सरकार को इस संबंध में किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता जैसे कि वो याचिका सही क्यों साबित हुआ, आदि।
5. हालांकि पीआईएल पर प्रक्रियागत कानून ही लागू होते है। लेकिन पूर्व न्याय का सिद्धान्त या ऐसे ही अन्य सिद्धान्त लागू होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि याचिका की प्रकृति कैसी है साथ ही मामले से संबन्धित तथ्य एवं परिस्थितियाँ कैसी है।
6. निजी कानून के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संगर्ष संबंधी विवाद पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं होगा।
7. न्यायालय विशेष परिस्थितियों में आयोग या अन्य निकायों की नियुक्ति किसी आरोप की जांच तथा तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कर सकता है। न्यायालय ऐसी आयोग द्वारा अधिग्रहण कि गई किसी सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन को भी निदेशित कर सकता है।
8. न्यायालय न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर समान्यत: कदम नहीं रखेगा। उच्च न्यायालय यद्यपि संबन्धित पक्षों को पूर्ण न्याय देने संबंधी निर्णय दे सकता है, लेकिन इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी।
9. साधारणतया उच्च न्यायालय को ऐसी याचिका को पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें किसी विधि या वैधिक भूमिका पर प्रश्न उठाए गए हो।

भारत में पीआईएल से संबंधित करेंट अफेयर्स

- भारत में पीआईएल के बारे में विभिन्न प्रकार की खबरे सुनने को मिलती है क्योंकि यह सबसे सुलभ सार्वजनिक उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग न्यायिक कार्रवाई की मांग के लिए किया जा सकता है। पीआईएल से संबंधित नवीनतम तथ्य
  - ❖ PM CARES फंड को रद्द करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी
  - ❖ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर खाड़ी देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों को बचाने और लाने के लिए व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
  - ❖ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्यों, उनके नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय स्व-सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि स्वच्छता कार्यकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जो राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच आवश्यक सेवा प्रदाता भी हैं।

जनहित याचिका (पीआईएल)

परिचय–

- कहीं भी अन्याय, न्याय के लिए खतरा है– मार्टिन लूथर किंग, जूनियर।
- जनहित याचिका (पीआईएल) एक ऐसा कानूनी कदम है जो किसी भी न्यायालय में शुरू किया जाता है जिसमें सार्वजनिक हित के प्रवर्तन के लिए कदम उठाया जाता है जिसमें उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 32, न्यायिक प्रक्रिया में सार्वजनिक लोगों को शामिल के संबंध में प्रावधान है।
- न्यायमूर्ति पी एन भगवती और न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर के प्रयास उन सभी मामलों में कानूनी उपचार खोजने में सहायक रहे जहां आम जनता के हित थे।

PIL के उद्देश्य–

- लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना।
- कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की शिकायतों का आवाज बनाना।
- PIL को किसी भी उच्च न्यायालय या सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है।
- PIL का अवसर संविधान के अनुच्छेद 39। में उल्लिखित सिद्धांतों के साथ है, जो सामाजिक न्याय की रक्षा और प्रबंधन के लिए कानून की सहायता से है।

PIL के तहत कुछ मुद्दे हैं:

1. बंधुआ श्रम के मामले
2. उपेक्षित बच्चे।
3. कामगारों को न्यूनतम वेतन का अधिकार नहीं मिलना और सामयिक कामगारों का शोषण।
4. महिलाओं पर अत्याचार।
5. पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन की उबार।
6. खाद्य अशुद्धि।
7. विरासत और सांस्कृतिक का संरक्षण।

PIL की आवश्यकता–

- सार्वजनिक हित याचिका सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है।
- कानून के नियम बनाए रखने और कानून और न्याय के बीच संतुलन को गति देने के लिए।
- यह समाज के हर वर्ग के हित के लिए है।
- यह भारत जैसे विकसित देश के लिए लाभकारी है।
- समाज में मौजूद अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए।

गुण–

- PIL ने लाखों नागरिकों की मदद की है ताकि वे सरकार की अत्यधिक हस्तक्षेप पा निजी क्रियाओं के खिलाफ अपना अधिकार दावा कर सकें।
- सतर्क नागरिक एक सस्ते उपाय को पा सकते हैं क्योंकि यहां कोर्ट शुल्क की केवल एक नाममात्र दर है।
- मुकदमेबाज व्यक्ति मानव अधिकार, उपभोक्ता कल्याण, और पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- प्रशासनिक क्रियाओं की न्यायिक समीक्षा में जनसहभागिता सुनिश्चित है।
- यह न्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा और लोकतांत्रिक बनाने का प्रभाव डालता है।

दोष–

- कई लोग PIL को परेशानी का एक उपाय के रूप में लेने लगे हैं क्योंकि तुच्छ मामले भारी कोर्ट शुल्क के बिना दाखिल किए जा सकते हैं।
- अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने के कारण न्यायपालिका की आलोचना की जाती रही है।
- कभी–कभी जनता द्वारा चप्स का दुरुपयोग होता है जिसमें सार्वजनिक कारण की समर्थन की बजाय, प्रसिद्धि पाने के लिए की जाती है।
- PIL का दुरुपयोग वास्तविक कारणों से अधिक फैल गया है, जिससे वास्तविक कारण या तो पीछे हट गए हैं या संदेह के साथ देखे जाने लगे हैं।
- राजनीतिक दबाव समूह जो प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते हैं, वे अपने लक्ष्यों और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए PIL का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।

चिंताएँ / चुनौतियाँ

- PIL के दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ हैं।
- PIL का अत्यधिक और दुरुपयोग केवल इसे अक्षम बना सकता है।
- अक्सर, PIL एक 'व्यक्तिगत हित याचिका' बन जाती है।
- राजनीतिक रूप से प्रायोजित मामले PIL के रूप में दाखिल किए जा सकते हैं।
- ऐसी याचिकाएं जो यदि याचक के पक्ष में नहीं तबतक सुलझाई नहीं जातीं, तो उस तारीख को न्यायपालिका के लिए श्काला दिनश कहा जाता है।

प्रमुख PIL मामले

- हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य
  - इस मामले को कई लोग भारत में पहली च्स् के रूप में मानते हैं।
  - अदालत ने बिहार में उन बंदियों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जो अपने अपराधों के लिए न्यायिक निर्णय के लिए प्रतीक्षा करते हुए बहुतायत समय तक नजरबंद रहे थे।

विशाका बनाम राजस्थान राज्य

- कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न को चुनौती देने के लिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL शुरू हुई थी।
- विशाका के निर्णय ने लैंगिक उत्पीड़न को ष्स्पष्ट उल्लंघनष् के रूप में माना और इसे समानता. असमानता, जीवन और स्वतंत्रता, साथ ही किसी भी व्यापार को करने का अधिकार का 'स्पष्ट उल्लंघन' माना।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ

- इस निर्णय में सिविक प्राधिकृतियों को कानपुर के चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित सीवेज को गंगा में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए नागरिक अधिकारियों की आलोचना की गई।
- अदालत ने गंगा के क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ तीन प्रमुख निर्णय और कई आदेश पास किए।

PIL न्यायिक समीक्षा का परिणाम

- न्यायिक समीक्षा संवैधानिक कानून में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति नहीं है। शाब्दिक रूप से, इसका अर्थ है निचली अदालत की डिक्री या सजा का वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण। सामान्य कानून के तहत, यह अपील, पुनरीक्षण और इसी तरह के उपायों के माध्यम से काम करता है, जैसा कि देश के प्रक्रियात्मक कानूनों द्वारा निर्धारित किया गया है, चाहे जो भी राजनीतिक व्यवस्था हो।
- जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता साथ-साथ चलते हैं। जनहित याचिका स्वयं न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी जनहित याचिका मामले पर सीधे विचार करने से पहले मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 में अन्य अधिकारों के अलावा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बहुत व्यापक व्याख्या की गई है
- न्यायिक समीक्षा, हालांकि, सार्वजनिक विधि में एक तकनीकी महत्व है, विशेषकर उन देशों में जिनमें लिखित संविधान है। ऐसे देशों में इसका मतलब यह है कि अदालतों के पास विधायी के साथ-साथ अन्य सरकारी कार्यों की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है।
- समीक्षा में अपील से संबंधित नियमों को ढीला किये जाने से जनहित याचिका में वृद्धि हुई है। यह अदालत के लिए उनके सामने मौजूद कई मुद्दों पर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का एक उपकरण बन गया है, आमतौर पर ऐसी सक्रियता संभव नहीं होती। इन दिनों प्राप्त जनहित याचिकाओं के प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर सरकारी निर्णयों और पर्यावरणीय मुद्दों तक भिन्न-भिन्न हैं।

आगे की दिशा

- अदालत को सतर्क रहना चाहिए कि याचक निष्कलंक रूप से कार्रवाई कर रहा है और व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं।
- अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक और अन्य लोग वैध प्रशासनिक क्रिया को विलंबित करने या राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें।
- PIL के क्रियावली होने वालों को जिम्मेदार और जवाबदेहार होना चाहिए।
- यह देश के सभी नागरिकों के लिए एक सस्ते मूल्य पर उपलब्ध एक असाधारण उपाय है, इसे सामान्य याचकों के लिए साधारित उपायों के रूप में या तुच्छ शिकायतों दर्ज करने का साधन बनाने के रूप में उपयोग किया जाना नहीं चाहिए।

❑❑❑